

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938

No. 468]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"26. सामरिक सेना कमान"।

[फा. सं. 1/1/2015-आईआर]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अनुसूची में अधिसूचना संख्यांक (i) सा.का.नि.सं. 347 तारीख 28 सितम्बर, 2005; (ii) सा.का.नि.सं. 235(अ), तारीख 28 मार्च, 2008; (iii) सा.का.नि.सं. 726(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2008; और (iv) सा.का.नि.सं. 422(अ), तारीख 9 जून, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2016

G.S.R. 673(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005, after serial number 25 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“26. Strategic Forces Command”.

[F. No. 1/1/2015-IR]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Note:- The Schedule to the Right to Information Act, 2005 was amended vide notification numbers (i) G.S.R. No. 347, dated 28th day of September, 2005, (ii) G.S.R. No. 235(E), dated 28th day of March, 2008; (iii) G.S.R. No. 726(E), dated 8th October, 2008; and (iv) 442(E), dated 9th June, 2011.